

29.5.2018

पञ्चवली राजस्व लोक अदालत न्याय
 आपके ह्वार 2018 के तहत पुन्याप
 प्रमाणनास प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष
 उपस्थित। मूल न्याय अदालत
 धारा 188 R.T.A प्रा सं 23/2018
 में निर्दिष्ट पारित किया जा
 चुका है। अतः अब इस
 पञ्चवली में कोई कार्यवाही
 अंगेहित नहीं रही है।
 अतः प्रार्थना का प्रा सं 23
 अदालत धारा 212 R.T.A का
 कारिज किया जाता है।
 पञ्चवली का राजस्व रजिस्टर
 के फेरल शुद्ध होकर
 जमा हो

अभि जलू

अ. नि. भैरा

विशाल प्रो. 11C

सहायक कलेक्टर
 (उपस्थान अधिकारी)
 गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मिठाई कागज का प्रारंभ हेतु यह कि
 मिठाई के लिए प्रारंभ हेतु प्रारंभ किमि मिठाई
 कि प्रारंभ किमि मिठाई के प्रारंभ हेतु

मिठाई कागज का प्रारंभ हेतु यह कि
 मिठाई के लिए प्रारंभ हेतु प्रारंभ किमि मिठाई
 कि प्रारंभ किमि मिठाई के प्रारंभ हेतु

मिठाई कागज का प्रारंभ हेतु यह कि
 मिठाई के लिए प्रारंभ हेतु प्रारंभ किमि मिठाई
 कि प्रारंभ किमि मिठाई के प्रारंभ हेतु